

# घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855



---

## धाराओं का क्रम

---

उद्देशिका ।

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार ।

1क. वादयोग्य दोष से किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उसके कुटुम्ब को हुई हानि के लिए उस व्यक्ति के कुटुम्ब के वास्ते प्रतिकर के लिए वाद ।

2. एक से अधिक वादों का न लाया जाना ।

सम्पदा की हानि के लिए दावे का जोड़ा जा सकना ।

3. वादी द्वारा विशिष्टियों आदि का दिया जाना ।

4. निर्वचन खण्ड ।

# घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855

(1855 का अधिनियम संख्यांक 13)<sup>1</sup>



[27 मार्च, 1855]

वादयोग्य दोष द्वारा कारित किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हुई हानि  
के लिए कुटुम्बों के वास्ते प्रतिकर का  
उपबन्ध करने के लिए  
अधिनियम

**उद्देशिका**—किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसने अपने दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो, किसी न्यायालय में इस समय कोई कार्यवाही या वाद नहीं चलाया जा सकता, और बहुधा यह ठीक और समीचीन होता है कि दोषकर्ता ऐसे मामले में अपने द्वारा कारित क्षति के लिए नुकसानी का उत्तरदायी हो; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

<sup>2</sup>[1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार <sup>3\*\*\*\*</sup> सम्पूर्ण भारत पर है।]

<sup>4</sup>[1क.] वादयोग्य दोष से किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उसके कुटुम्ब को हुई हानि के लिए उस व्यक्ति के कुटुम्ब के वास्ते प्रतिकर के लिए वाद—जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से कारित हो और वह कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम ऐसा हो जिससे (यदि मृत्यु न हुई होती) क्षत व्यक्ति उसकी बाबत कार्यवाही चलाने और नुकसानी वसूल करने का हकदार होता तो वह पक्षकार जो मृत्यु न होने की दशा में दायी होता इस बात के होते हुए भी कि क्षत व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और यद्यपि मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई है जिनसे विधि के अनुसार घोर अपराध या अन्य अपराध बनता हो, नुकसानी के लिए कार्यवाही या वाद के दायित्वाधीन होगा।

<sup>5\*\*\*\*</sup> ऐसी प्रत्येक कार्यवाही या वाद उस व्यक्ति की, जिसकी मृत्यु इस प्रकार कारित हुई हो, पत्नी, पति, जनक और सन्तान, यदि कोई हो, के फायदे के लिए होगा, और मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के द्वारा और नाम में लाया जाएगा;

और ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में न्यायालय ऐसी नुकसानी दिला सकेगा जैसी वह क्रमशः उन पक्षकारों को, जिनके लिए और जिनके फायदे के लिए ऐसी कार्यवाही लाई गई हो, ऐसी मृत्यु से हुई हानि को आनुपातिक समझे, और ऐसे वसूल की गई रकम, सब खर्चों और व्ययों को, जिनके अन्तर्गत प्रतिवादी से वसूल न हुए खर्च भी हैं, काटने के पश्चात् पूर्ववर्णित पक्षकारों या उनमें से किन्हीं में ऐसे अंशों में विभाजित की जाएगी जिसे न्यायालय अपने निर्णय या डिक्री द्वारा निदिष्ट करे।

2. एक से अधिक वादों का न लाया जाना—परन्तु सर्वदा यह है कि परिवार की उसी विषय-वस्तु के लिए <sup>6\*\*\*\*</sup> और उसकी बाबत एक से अधिक कार्यवाही या वाद नहीं लाया जाएगा :

सम्पदा की हानि के लिए दावे का जोड़ा जा सकना—परन्तु ऐसी किसी कार्यवाही या वाद में, मृतक का निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि, मृतक की सम्पदा को ऐसे दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई किसी धन-सम्बन्धी हानि के लिए दावा निविष्ट कर सकेगा और उसे वसूल कर सकेगा और वह राशि वसूल होने पर मृतक की सम्पदा की आस्तियों का भाग समझी जाएगी।

3. वादी द्वारा विशिष्टियों आदि का दिया जाना—ऐसी किसी कार्यवाही या वाद के वादपत्र में उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की जिनके लिए या जिनकी ओर से ऐसी कार्यवाही या वाद लाया जाए और उस दावे की प्रकृति की जिसकी बाबत नुकसानी वसूल की जानी चाही गई हो, पूरी विशिष्टियां होंगी।

4. निर्वचन खण्ड—निम्नलिखित शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होने आशयित हैं जो उन्हें एतद्वारा क्रमशः दिए गए हैं जहां तक कि ऐसे अर्थ संदर्भ द्वारा या विषय-वस्तु की प्रकृति द्वारा अपवर्जित नहीं हैं, अर्थात् “व्यक्ति” शब्द राज्याधिक और निगमित निकायों को लागू होगा; और <sup>7\*\*\*\*</sup> “जनक” शब्द के अन्तर्गत पिता और माता तथा पितामह और मातामही भी होंगे; और “सन्तान” शब्द के अन्तर्गत पुत्र और पुत्री तथा पौत्र और पौत्री तथा सौतेला पुत्र और सौतेली पुत्री भी होंगे।

<sup>1</sup> यह अधिनियम 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्कादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह को और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया।

<sup>2</sup> 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा मूल धारा 1 को धारा 1क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

<sup>5</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “और यह आगे अधिनियमित किया गया कि” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>6</sup> 1871 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा (24-3-1871 से) “और यह कि ऐसी प्रत्येक कार्यवाही ऐसे मृतक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् 12 कैलेण्डर मास के भीतर की जाए” शब्दों का लोप किया गया। परिसीमा के लिए अब देखिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)।

<sup>7</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा कतिपय (17-3-1914 से) शब्दों का लोप किया गया।